

कार्यालय कलेक्टर, जिला सक्ती एवं पदेन उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

:: प्रारंभिक अधिसूचना ::

क्रमांक01...../अ-82/2019-20

सक्ती, दिनांक 17/01/2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

:: अनुसूची ::

भूमि का प्रकार					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम/प. ह.न.	खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में.)		
1	2	3	4	5	6	7
सक्ती	मालखरौदा	नरियरा प.ह.नं. 19	कुल खसरा संख्या 36	1.568 हेक्टेयर	कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग चाम्पा	बसंतपुर-परसदा -घोघरी मार्ग निर्माण हेतु

- यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त भूमि में कोई हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक सामाघात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम 2013 की धारा-15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है।

4. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है,

5. प्रस्तावित अधिग्रहण हेतु भूमि का विस्तार क्षेत्र ऐसी परियोजना के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि है और विकल्प में कोई बंजर भूमि जिसमें पड़त भूमि सम्मिलित है, उक्त परियोजना हेतु उपलब्ध नहीं है।
6. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.) में प्रस्तुत रिट याचिका **W.P.C. No. 2100/2021**, **W.P.C. No. 2667/2021** एवं **Cont. No. 1175/2022** में दिये गये आदेश के परिपालन में प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा-43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मालखरौदा जिला-सक्ती (छ.ग.) को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा
आदेशानुसार


(नुपूर रीशि पन्ना)
कलेक्टर
जिला-सक्ती (छ.ग.)


(अरुण कुमार सोम)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी, मालखरौदा

एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं अप्रदा प्रबंधन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक / 130 / 2024
प्रतिलिपि :-

दिनांक 17 / 05 / 2024

1. सचिव, छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. उप नियंत्रक, केन्द्रीय मुद्रणालय राजनांदगांव (छ.ग.) की ओर छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग-एक में प्रकाशन कराये जाने हेतु अग्रेषित।
3. संचालक जन संपर्क संचालनालय, रायपुर की ओर दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराये जाने हेतु अग्रेषित।
4. प्रभारी अधिकारी नाजरात शाखा सक्ती की ओर कार्यालय के सूचना पटल में अधिसूचना का प्रकाशन हेतु।
5. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी मालखरौदा की ओर अनुविभागीय कार्यालय अधिसूचना का प्रकाशन हेतु।
6. तहसीलदार मालखरौदा की ओर तहसील कार्यालय में अधिसूचना का प्रकाशन हेतु।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी जांजगीर चांपा/सक्ती की ओर विभागीय वेब साइट में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
8. सरपंच/ग्राम नरियरा, ग्राम-नरियरा, प.ह.नं.-19 की ओर सार्वजनिक स्थान पर चस्पा कर प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित।

कलेक्टर

जिला-सक्ती (छ.ग.)

एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग